

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 08 /अ-82/19-20/गुडी/12570

बैतूल दिनांक 3-12-2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	गुडी	7.400	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	घोघरी मध्यम परियोजना

अनुसूची - 2  
( प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	जगन व. गंजू जाति गोंड, सा.देह, भू-स्वामी	55/1	4.251	0.324
2	खमिया पुत्री गोमा, जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	58/1	1.618	0.157
3	देवलाल पिता चंदू पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	58/2	1.611	0.158
4	गुलाब, नजर व. फगन, समति, फुल्लो पुत्री फगन जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/1	1.343	0.178
5	सुनीता पुत्री जग्गू जाति गोंड, सा.देह भू-स्वामी	59/2	1.611	0.178
6	श्रीराम,सीताराम व. मुकिन्दराव,लक्ष्मी,जयवंती कला, सकुन, सुशीला, जाति गाडरी, पता सा.देह.धनोरी, भू-स्वामी मुकिन्दराव,नान्ही बे.कल्लु, गित्तू,महेन्द्र व. कल्लू, ललता,संगीता,मनीषा,पुनभ,सावला,मनीष पिता कल्लु,जाति गाडरी, सा.देह.भू-स्वामी	72/2	3.128	0.218

7	शेखनसीर पिता शेख खादिम, शेख रफीक पिता शेख खादिम, बिलकिसा पिता शेख खादिम, खुर्शीद पिता शेख खादिम, शेख नसीर पिता शेख विराम, शेखजफर पिता शेख खादिम, शेख वहाब पिता शेख विराम अनबीशेखकदीर पिता शेखविराम जाति मुसलमान, पता बैतूल, सा.देह भू-स्वामी	184	2.647	0.049
8	मु. चैती,बाजी,सुमन,कमला,इमला पुत्री बाजी झब्बा व. सिरपत, जाति तेली, पता सा.धनोरा भू-स्वामी	191	9.862	3.901
9	किशोरी पिता तेजी, प्रहलाद पिता तेजी, फुल्लो पुत्री तेजी, चुन्नी पिता गणपत, चैती वे. बाजीलाल जाति तेली पता बैतूल सा.देह भू-स्वामी	192 193 194	13.011 0.125 0.186	1.465 0.125 0.186
10	कानूलाल,आनंदराव व. मानसिंग, खब्बू फुला, रामकला पिता मानसिंग, मैनी बे.मानसिंग, जाति गोंड, सा.देह.भू-स्वामी	265/1	2.257	0.113
11	मदन,अमरू व. असीला, जिवली बे. टिब्बू मंगल,जुगू जगदीश व.टिब्बू जाति गोंड, सा.देह. भू-स्वामी	270	2.962	0.307
12	गंगा बे. मंगल, गुल्लू पिता मंगल, वत्सला बेवा गुलबू फूलाजी पिता डीमरा, ज्योति पुत्री गुलबू, रुमासिंग पिता डीमरा, सोनाजी पिता डीमरा, मुनिया, चुनिया पुत्री डीमरा, नन्हू पिता जादू, मूली, नान्ही, हसलो पुत्री जादू, सुमित्रा बेवा मनोहरी, दिलीप, राजकुमार, पिता मनोहरी, रामवती,मंधा, पुत्री मनोहरी, मादू पिता रंगू जाति गोंड पता सा.देह. भू-स्वामी	271	3.339	0.041
	योग:-		47.951	7.400

1- चूंकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www.betui.nic.in](http://www.betui.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार,

( तेजस्वी एस.नायक )

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 08 अ-82/वर्ष 19-20/गुडी/ 12870  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 3-12-2019

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में ) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कं.2 बैतूल सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट [www.betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल की ओर ( दो प्रतियों में ) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार बैतूल की ओर (तीन प्रतियों में ) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत गुडी, तहसील बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित।

  
अपर कलेक्टर

एवं प्र0अ0 भू-अर्जन, बैतूल

